न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील/टीए/4467/2005/टोंक

1. प्रहलाद
2. रामफूल
3. हनुमान पुत्रगण घासी मीणा
4. भूरी पुत्री घासी मीणा
5. भूली बेवा घासी मीणा
6. रणजीता पुत्र नारायण मीणा मृतक जरिये वारिसान–

6/1. कजोड
6/2. राजू
6/3. रामस्वरूप
6/4. तीजा
6/5. प्रेम पिसरान रणजीता

7. ग्यारसी लाल पुत्र नारायण मीणा

समस्त निवासीगण ग्राम भडंगपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र भोमा मीणा मृतक जरिये वारिसान–

1/1. हंसा
1/2. पूर्ण पुत्रगण रामचन्द्र
1/3. काली पुत्री रामचन्द्र
1/4. धन्नी पत्नी रामचन्द्र

2. भूरा पुत्र भोमा मीणा
3. पार्वती पुत्री घासी मीणा

समस्त निवासीगण ग्राम भडंगपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री अजीत लोढा, अपीलार्थीगण
श्री हेमराज गुप्ता, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 25.01.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–08–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है, जिनके पूर्वज गणेश था, जिसके दो पुत्र भोमा व नारायण हुए। भोमा के प्रतिवादीगण रामचन्द व भूरा हुए एवं नारायण के घासी, रणजीत व ग्यारसीलाल वादीगण हुए। ग्राम भडंकपुरा एवं छोरिया स्थित आराजियात में वादीगण के स्वर्गीय भोमा की मृत्यु के पश्चात् केवल रामचन्द्र व भूरा के नाम ही खाते में वादपत्र की मद संख्या–3 में वर्णित आराजियात दर्ज हुई। इससे पूर्व गणेश के बडा पुत्र भोमा होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था जबकि विवादित आराजियात पैत्रिक भूमि है तथा जब भोमा व नारायण दोनों मौजूद थे तब से दोनों का हिस्सा बराबर चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बडा भाई भोमा के नाम दर्ज होने के कारण उसकी मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के नाम अकेले राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया जबकि मौके पर 1/2 हिस्से पर वादीगण व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। अतः वादपत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित विवादित आराजियात खाता संख्या 75 में वादीगण को 1/2 हिस्से का एवं खाता संख्या 69 में 1/8 हिस्से का रामचन्द्र व भूरा प्रतिवादीगण के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार बंटवारा किया जावे।

विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित पांच तनकियात कायम की गयी एवं उभय पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20-09-2003 से वादीगण विवादित आराजी का प्रतिवादीगण के साथ खातेदार काश्तकार घोषित कर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण की ओर से भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29-08-2005 से आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण अपीलार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से इस बिन्दू को पूर्णतः साबित कराया था कि विवादित आराजी पक्षकारान के पूर्वज गणेश की होने से पैत्रिक भूमि थी, जिसमें वादीगण का भी स्वत्व व अधिकार निहित है। विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवादित आराजी को पैत्रिक सम्पत्ति होना मानकर तनकी संख्या-1 का निर्णय वादीगण के

पक्ष में किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर बंटवारे की प्राथमिक डिकी पारित की थी, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं थी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर किसी प्रकार की विवेचना एवं विश्लेषण किये बिना अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की तथा उनके द्वारा पारित निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 जाप्ता दीवानी में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की थी, अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दू को निर्णीत किये बिना प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उनके पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिससे प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जावे। वादित आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने कथनो के समर्थन में 2001(7) एससीसी पेज 503 एवं 2001 आरबीजे पेज 603 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी उनके पक्षकार के पूर्वज स्वर्गीय भोमा की स्वअर्जित भूमि है, जिस पर प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार है तथा वादीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है, ना ही वादीगण को विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त है। उनका कथन है कि मूल वाद में निहित विवादित आराजियात संयुक्त परिवार की पैत्रिक भूमि नहीं है। उनका कथन है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे विवादित आराजियात पैत्रिक भूमि होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो। उनका कथन है कि मूल वाद में निहित विवादित आराजियात जब पैत्रिक भूमि होना प्रमाणित ही नहीं होता हो तो वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करना तथा बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित करना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बरान का मिलान भी नहीं होता है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी को प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के पूर्वज भोमा की स्वअर्जित सम्पत्ति प्रमाणित नहीं होना मानकर विवादित आराजी को पैत्रिक भूमि मान लिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। वादीगण अपीलार्थीगण को विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर विवादित आराजी को पैत्रिक भूमि प्रमाणित कराना आवश्यक है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं हुए। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् प्रकरण से प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. सर्वप्रथम हम योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को निर्णीत करना उचित समझते है। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात विवादित आराजी से सम्बन्धित राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां होने से प्रकरण के विधिसम्मत् निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज है, जिन्हें रिकार्ड पर लिया जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाना विधिसम्मत् नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र को खारिज किया जावे। प्रार्थनापत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत दस्तावेजात अपील में निहित विवादित आराजी से सम्बन्धित पूर्व के राजस्व अभिलेख में प्रमाणित प्रतियां है, जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाना न्यायेाचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि पक्षकारान आपस में एक ही परिवार के सदस्य है, जिनके पूर्वज गणेश था, जिसके दो पुत्र भोमा व नारायण हुए। भोमा के

प्रतिवादीगण रामचन्द व भूरा हुए एवं नारायण के घासी, रणजीत व ग्यारसीलाल वादीगण हुए। ग्राम भडंकपुरा एवं छोरिया स्थित आराजियात में वादीगण के स्वर्गीय भोगा की मृत्यु के पश्चात् केवल रामचन्द्र व भूरा के नाम ही खाते में वादपत्र की मद संख्या–3 में वर्णित आराजियात दर्ज हुई। इससे पूर्व गणेश के बडा पुत्र भोमा होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था जबकि विवादित आराजियात पैत्रिक भूमि है तथा जब भोमा व नारायण दोनों मौजूद थे तब से दोनों का हिस्सा बराबर चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बडा भाई भोमा के नाम दर्ज होने के कारण उसकी मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के नाम अकेले राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया जबकि मौके पर 1/2 हिस्से पर वादीगण व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। अतः वादपत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित विवादित आराजियात खाता संख्या 75 में वादीगण को 1/2 हिस्से का एवं खाता संख्या 69 में 1/8 हिस्से का रामचन्द्र व भूरा प्रतिवादीगण के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार बंटवारा किया जावे।

9. प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने वादीगण के पिता नारायण की वल्दियत गणेश होना प्रमाणित मानते हुए तथा प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी को उनके पिता भोमा की स्वअर्जित भूमि होने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होना मानकर विवादित आराजी को पैत्रिक भूमि होना तनकी संख्या–1 में मान लिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। विचारण न्यायालय को वादपत्र में निहित विवादित आराजियात के पैत्रिक भूमि होने अथवा नहीं होने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट निर्णय पारित करना चाहिए था। साथ ही भू–प्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल का भी सूक्ष्मता से परीक्षण करने के उपरान्त यह अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि साबिक खसरा नम्बरान के वर्तमान खसरा नम्बर कौनसे कायम किये गये तथा पूर्व के साबिक खसरा नम्बर किसके खाते दर्ज थे तथा वर्तमान में किसके खाते दर्ज है। अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

10. जहां तक अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 11–4–2005 को प्रत्यर्थी संख्या–7 स्वयं उपस्थित हुआ एवं शेष प्रत्यर्थीगण बावजूद तामिल नोटिस अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील के मियाद बाहर होने के बिन्दू को निर्धारण नहीं किये जाने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–09–2003 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 11–05–2004 को अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की गयी। अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 5 मियाद के बिन्दू का निर्धारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में तकनीकी/विधिक त्रुटि कारित की है। विभिन्न माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि तकनीकी त्रुटि पर न्यायालयों को उदार रूख अपनाया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी को पैत्रिक भूमि होने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट अभिमत व्यक्त नहीं किया है, ना ही मिलान क्षेत्रफल के आधार पर विवादित आराजी के साबिक नम्बरान व हाल खसरा नम्बरान का मिलान किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषित निर्णय में हस्तक्षेप कर केवल मात्र मियाद के बिन्दू के निर्धारण हेतु अपीलीय न्यायालय को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित

प्रतीत नहीं होता है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–08–2005 की पुष्टि की जाती है। साथ ही विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित आराजी के पैत्रिक भूमि होने अथवा नहीं होने बाबत् दस्तवेजी साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट निर्णय पारित करें, जिसमें विवादित आराजी के भू–प्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल का भी सुक्ष्मता से परीक्षण करें।

12. पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में दिनांक 25.02.2019 को उपस्थित होकर मूल वाद के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य